न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबलपुर जिला जबलपुर

राजस्व प्रकरण क्रमांक– 004/अ–23/2023–24
– 006/अ–23/2023–24

वीरन सिंह गौड़ पिता स्व.श्री नन्हेलाल गौड़, —....आवेदक
उम्र 67 वर्ष, निवासी रामपुर नकटिया ग्राम
पंचायत ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

(1)– गंगा पाठक पिता स्व.श्री रामप्रसाद पाठक, – अनावेदकगण
निवासी नरसिंह मंदिर के पास वार्ड जिला जबलपुर
(2)– जितेन्द्र राय उपपंजीयक,
पंजीयन कार्यालय जबलपुर–2,
(3)– रमेश कुमार पाठक पिता स्व.श्री जे.पी. पाठक
निवासी म.नं. 760, गीताधाम ग्वारीघाट थाना
ग्वारीघाट जिला जबलपुर
(4)– शंकर विश्वकर्मा पिता हीरालाल विश्वकर्मा
निवासी म.नं. 660, केशरवानी होटल के पास
मढ़ाताल जिला जबलपुर (म.प्र.)
(5)– नारायण प्रसाद श्रीवास्तव पिता गौरीशंकर श्रीवास्तव
निवासी 2054, दीपक डेयरी के पास कांचघर जबलपुर

आदेश

(पारित दिनांक 15/02/2025)

प्रकरण में आवेदक द्वारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख)(3) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि:–

आवेदक वीरन सिंह गोड़ पिता नन्हेलाल गोड़ निवासी गढ़ा जबलपुर के द्वारा ग्राम रामपुर नकटिया प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर–2, स्थित भूमि खसरा नंबर 31 रकवा 1.84 हेक्ट. भूमि को अन्य वीरन सिंह ने राजपूत उपजाति लिखिकर अनावेदक गंगा पाठक को विक्रय कर दी गई। जबकि वीरन सिंह गोड़ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। आवेदक के साथ छलकपटकर फर्जी दस्तोवज तैयार कर छल–कपटकर कर भूमि विक्रय करने बावद आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 165 सहपठित धारा 170(ख)(3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 वास्ते कपटपूर्ण अंतरण को शून्य घोषित किये जाने बावद् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक वीरन सिंह गौड़ जनजाति का सदस्य है, वह वृद्ध है उसकी उम्र करीब 67 वर्ष है वह ग्राम रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) का मूल निवासी है। यह कि, आवेदक के पास पैत्रिक भूमि ग्राम

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

रामपुर नकटिया ग्राम पंचायत ऐंठाखेड़ा थाना तिलवारा तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि जिसका प.ह.नं. 28 नया खसरा नंबर 31 रकवा 1.8400 हेक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में वीरन सिंह के नाम पर दर्ज है उक्त भूमि की धोका–धड़ी करते हुये आवेदक वीरन सिंह के नाम के आगे राजपूत लिखकर अनावेदक क्रमांक 1 गंगा पाठक के नाम पर जो रजिस्ट्री की गई है वह पूर्णतः फर्जी एवं असत्य है आवेदक के द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई भूमि विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया हैं।

आवेदक की भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 06.01.2022 को वीरन सिंह गौड़ के नाम के आगे राजपूत नाम लिखकर फर्जी रजिस्ट्री अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित की गई है वह पूर्णतः फर्जी एवं असत्य है। यह कि रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार राजेन्द्र राय साक्षी अनावेदक क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं पटवारी 7 के द्वारा मिलकर जो रजिस्ट्री की गयी है वह पूर्णतः फर्जी है उसे रद्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। यह कि आवेदक के द्वारा कोई भी रजिस्ट्री नहीं की गयी है और ना ही कोई भुगतान प्राप्त किया गया है संपूर्ण रजिस्ट्री फर्जी एवं धोखा–धड़ी से तैयार की गई है उसे रद्द किये जाने की दया की जाये। आवेदक को रजिस्ट्री की जानकारी पटवारी के नाम से प्राप्त हुई और उसके द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय से दिनांक 14.08.2023 को प्राप्त कर पुलिस अधिकारियों एवं जिला अध्यक्ष जबलपुर को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गयी थी जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ पेश की जा रही है। जिसके श्रवण के क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। यह कि आवेदक आदिवासी गौड़ जाति व्यक्ति है उसे अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है इस कारण अनावेदकगणों के विरूद्ध की गयी धोखा–धड़ी के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की दया की जाये। यह कि आवेदक के द्वारा उपरोक्त जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक 24.03.1975 को क्रय की थी जिसका पुराना खसरा नंबर 24 में से सिर्फ 4–40 डिसमिल ऐकड़ क्रय की थी और उसका नामांतरण भी हो चुका था और आवेदक का नाम खसरा नंबर 24/2 में दर्ज था बन्दोबस्त के समय त्रुटिवश खसरा नंबर 31 कर दिया था जिसके सुधार बावद् दावा आपके न्यायालय में विचारण में है। उक्त संबंध में आवेदक लेख किया गया है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगणों द्वारा दिनांक 01.06.2022 को जो बैनामा रजिस्ट्रर्ड करवाया गया है वह पूर्णतः फर्जी एवं असत्य है वीरन सिंह के नाम के आगे राजपूत लिखकर जो बैनामा लिखा गया है उसे पूर्णतः शून्य घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में अनावेदकगण (1) गंगा पाठक, निवासी नरसिंह मदिर के पास वार्ड जबलपुर, (2) रमेश कुमार पाठक निवासी म.नं. 760 गीताधाम ग्वारीघाट जबलपुर, (3) शंकर विश्वकर्मा, म.नं. 660 केशरवानी होटल के पास मढौताल जबलपुर (4) नारायण प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी 2054, दीपक डयेरी के पास कांचघर जबलपुर, (5) जितेन्द्र राय, उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय जबलपुर, एवं गवाह (6) संतोष कुमार सोनी, पता म.नं. 1133 मिलौनीगंज जबलपुर को नोटिस जारी किया गया। किन्तु अनावेदकगण सूचना उपरांत न्यायालय में उपस्थित न होने पर प्रकरण एक पक्षीय किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार जबलपुर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 26/11/2024 में प्रतिवेदित किया गया है कि

Scanned with OKEN Scanner

मौका जांच एवं ग्राम वासियों के समक्ष में बताया गया कि ग्राम रामपुर नकटिया की भूमि खसरा नंबर 31 रकवा 1.84 हेक्ट. भूमि वीरन सिंह पिता नन्हेलाल गौड़ की पैत्रिक भूमि है जिसपर वह कास्त कार्य करते चले आ रहे है। वीरन सिंह गोड़ पिता नन्हेलाल गौड़ के स्थान पर दिनांक 06.01.2022 को संपादित विक्रय पत्र में वीरन सिंह राजपूत पिता नन्हेलाल राजपूत लिखकर विक्रय पत्र संपादित कराया गया है ये तथ्य सहीं है। वीरन सिंह गौड़ पिता नन्हेलाल गौड़ सा.देह ने किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि सर्वे नंबर 31 रकवा 1.84 हेक्ट. का विक्रय नहीं किया गया है। अतः उक्त विक्रय पत्र छलकपटपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करके निष्पादित किया जाना प्रतीत होता है जिसको निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.11.2024 से सहमत होते हुये उपर्युक्त विवेचना में पाया गया कि अनावेदक गंगा पाठक पिता स्व.श्री राम प्रसाद पाठक निवासी नरसिंह मंदिर के पास, नरसिंह वार्ड जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर द्वारा आवेदक वीरन सिंह राजपूत पिता नन्हेलाल राजपूत निवासी मकान नंबर 2822, गढ़ा बाजार जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर की भूमि ग्राम रामपुर नकटिया प.ह.नं. पुराना 45 नया 28 (ऐंठाखेड़ा) रा.नि.मं. बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 31 रकवा 1.84 हेक्ट. भूमि छल–प्रपंच कारित कर पहले भूमि कूट रचना कारितकर पंजीयक कार्यालय में ई पंजीकरण संख्या MP1825522022A1580470 पंजीकरण की तिथि 01.06.2022 का पंजीयन अपने नाम से करा लिया गया। आदिम जनजाति सदस्य की भूमि को बिना सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर से म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भूमि का बैनामा निष्पादन कराये जाने का प्रावधान है जो आवेदक द्वारा पंजीयन के पूर्व कलेक्टर महोदय, से अनुमति प्राप्त किये बिना ही बैनामा क्रमांक MP1825522022A1580470 का निष्पादन अपने पक्ष में कराया गया है।

प्रकरण में आवेदक वीरन सिंह गोंड द्वारा अपने पुत्र ब्रजेश सिंह का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इस न्यायालय की दायरा पंजी वर्ष 2004–05 में राजस्व प्रकरण 3519/बी–121/2004–05 जारी दिनांक 01/08/2005 में मिलान करने पर गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि होती है। जिसे म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है। साथ ही *म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में प्रावधान है कि धारा 170(ख) उपधारा (1) के अधीन ज़ानकारी प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी के अंतरण ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेंगा।*

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 में न्याय दृष्टांत है कि– शून्य अन्तरण– यदि गैर आदिवासी ने अपने लाभ के लिये आदिवासी की जमीन को आदिवासी के नाम पर अंतरण करा लिया है तो ऐसे मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी कर सकता है और बिक्री को शून्य घोषित कर सकता है। जांच करने बाद बिक्री को शून्य घोषित किया गया उसे

CASE 0005

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

उचित माना गया। रिट याचिका खारिज की गई। {**बसिया वि. धोलिया तथा अन्य 1997 रा.नि. 273 (न्या. श्री आर.एस. गर्ग म.प्र. हा.को)**}

अतः म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मै अभिषेक सिंह ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (ग्रामीण), जबलपुर बैनामा क्रमांक MP1825522022A1580470 पंजीयन दिनांक 01.06.2022 आकृत एवं शून्य घोषित करता हूँ।

उक्त प्रश्नाधीन भूमि में राजस्व अभिलेख पूर्ववत वीरन सिंह गौंड पिता नन्हेलाल गौंड पता गढा जबलपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी के नाम पर प्रतिवर्तित की जाती है। तहसीलदार जबलपुर से आदेशानुसार कब्जे की पुष्टि कराई जावे।

आदेश आज दिनांक.....14.02.2025 को खुली अदालत में मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की पदमुद्रा मोहर से जारी किया गया।

(अभिषेक सिंह ठाकुर)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जबलपुर

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

पृष्ठा.क्र./ /प्र–1/अ.वि.अ/2025 जबलपुर, दिनॉक /02/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जबलपुर को उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. तहसीलदार जबलपुर की ओर आदेश के पालनार्थ एवं छलकपट की जानकारी सम्बधित थाना प्रभारी को दी जाकर मामला दर्ज कराया जावें।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर–2, जिला जबलपुर को बैनामा MP1825522022A1580470 दिनांक 01.06.2022 को निरस्त किये जाने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जबलपुर

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) जबलपुर

CASE 0.05

Scanned with OKEN Scanner